न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः- टी.ए. 69/2022

पंजीयन दिनांकः- 20.10.2022

सुन्दरपुरी गुरू परमानन्दपुरी महन्त गौतमेश्वर मन्दिर जरिये मुख्तियार आनन्दपुरी निवासी गौतमेश्वर तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

-अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर जिला प्रतापगढ़
2. तहसीलदार तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद
प्रकरण संख्या 27/2021 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.08.2022

उपस्थित वक्त बहस 1. अजय कुमार पिछोलिया- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण

निर्णय **दिनांक :- 31.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलान्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा गौतमेश्वर तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ की खाता सं. 167 मे दर्ज आराजी नम्बर 123,14,16,17,251,252,253,260,69,70,71,72,73,80,81,82,83,84,85,86,87 व 88 कुल किता 22 कुल रकबा 11.18 हैक्टेयर अवस्थित है जो कदीम से अपीलान्ट प्रार्थी के गुरू परमान्दपुरी महन्त निवासी गौतमेश्वर के खाते बहैसियत महन्त स्थान गौतमेश्वर दर्ज थी। उक्त कृषि आराजीयात परमान्दपुरी महन्त को तत्कालीन रियासत द्वारा स्थान गौतमेश्वर महन्त के रूप मे पुजनार्थ दे रखी थी। अपीलान्ट प्रार्थी गुरू परमानन्दपुरी महन्त का उत्तराधिकारी है। उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलान्ट प्रार्थी व उनके गुरू परमानन्दपुरी गुसाई महन्त ही कदीम से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपोलान्ट प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर वादग्रस्त कृषि आराजीयात मे से अपीलान्ट प्रार्थी के गुरू परमानन्दपुरी महन्त का नाम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 का सहारा लेकर नाम हटा दिया इस दौरान महन्त परमानन्दपुरी का देहान्त हो गया तत्पश्चात् उनकी गद्दी पर उत्तराधिकारी के रूप मे सुन्दरपुरी को विराजित किया तब से अपीलान्ट प्रार्थी ही वादग्रस्त कृषि आराजीयात का प्रबन्ध करते चले आ रहे है। वादपत्र व प्रार्थना पत्र के लम्बित रहने के दौरान ही रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपीलान्ट प्रार्थी आनन्दपुरी महन्त को नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 11.06.2021 को देकर उक्त कृषि आराजीयात खाली करने को कहा गया। रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि मन्दिर की कृषि आराजीयात से अतिक्रमण के मामलो मे पुजारियो की बेदखली नही की जाती है। पुजारियो को खातेदारो को प्राप्त कई सुविधाओ का लाभ प्राप्त होता है। उभयपक्षो को सुना जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का नहीं होना मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण जरिये सम्मन नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 विपक्षीगण जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2022 के विरूद्ध दिनांक 19.10.2022 को प्रथम अपील प्रस्तुत की जो म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होना मानते हुए अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध मोजा गौतमेश्वर की जमाबन्दी मे दर्ज आराजी नम्बर 123,14,16,17251,252,253,260,69,70,71,72,73,80,81,82,83,84,85,86,87 व 88 कुल किता 22 कुल रकबा 11.18 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कृषि आराजीयात पूर्व मे महन्त परमानन्दपुरी गुरूपीर महन्त अमरपुरी गुसाई को पुजनार्थ दे रखी थी जिसको नामान्तरकरण सं. 78 से राजस्व रेकार्ड से विलोपित की जाकर मन्दिर गौतमेश्वरजी स्थानदेह के नाम दर्ज कर दी जिससे अपीलान्ट प्रार्थी का घोषणा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 2 विपक्षी ने दिनांक 11.06.2021 को आराजी नम्बर 123,14,16,17 251, 252, 253, 260, 69, 70, 71, 72,73,80,81,82,83,84,85,86,87 व 88 कुल किता 22 कुल रकबा 11.18 हैक्टेयर से बेदखल किये जाने का नोटिस जारी किया, जिससे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 23.06.2021 को अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व दस्तावेज राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना की फोटो प्रति प्रस्तुत की। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो को सुना जाकर अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर निरस्त किया है। उक्त कृषि आराजीयात जो कदीम से अपीलान्ट प्रार्थी के गुरू महन्त परमानन्दपुरी के खाते मे बहैसियत महन्त स्थान गौतमेश्वर

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

दर्ज रही है। उक्त कृषि आराजीयात परमानन्दपुरी को तत्कालीन रियासत द्वारा स्थान गौतमेश्वर को महन्त के रूप मे पुजनार्थ दे रखी थी, फिर भी उक्त कृषि आराजीयात को गलत रूप से नामान्तकरण सं. 78 स्वीकृत दिनांक 21.05.1993 के द्वारा मन्दिर श्री गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज कर दी। मन्दिर के नाम दर्ज होने व मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग होना, अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होना एवं प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष मे नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण विपक्षीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादग्रस्त कृषि आराजीयात वर्तमान मे गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। गौतमेश्वरजी नाबालिग मूर्ति होकर शास्वत नाबालिग है। अपीलान्ट प्रार्थी का यह कथन कि उक्त कृषि आराजीयात पूर्व मे महन्त परमानन्दपुरी को तत्कालीन रियासत द्वारा स्थान गौतमेश्वर के महन्त के रूप मे पुजनार्थ दे रखी थी। अपीलान्ट प्रार्थी महन्त परमानन्दपुरी का चेला है। उक्त तथ्यो को अपीलान्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे किसी भी दस्तावेज से साबित नही करवाया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादग्रस्त कृषि आराजीयात गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना व अपीलान्ट प्रार्थी को उक्त कृषि आराजीयात के दस्तावेजी साक्ष्यो से पुजारी / सेवायत प्रमाणित नही होना एवं अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलान्ट प्रार्थी के विरूद्ध व रेस्पोडेन्ट्गण विपक्षीगण के पक्ष मे होना मानते हुए निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2022 को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट्गण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2074-2077 की खाता सं. 167 मे दर्ज कृषि आराजीयात मोजा गौतमेश्वर की 11.18 हैक्टेयर भूमि मन्दिर गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे अपीलान्ट प्रार्थी ने पुजनार्थ अपने गुरू महन्त परमानन्दपुरी को देना व अपीलान्ट प्रार्थी महन्त परमानन्दपुरी का चेला होना बताते हुए वादपत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर विवादित कृषि आराजीयात मूर्ति नाबालिग श्री गौतमेश्वरजी स्थान देह के नाम दर्ज होना व उन्ही के कब्जे काश्त मे होना मानते हुए अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नही होना, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी रेस्पोडेन्ट्गण विपक्षीगण के पक्ष मे होना मानते हुए अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह माना जा सके कि वे मन्दिर के पुजारी/सेवायत है। अपीलान्ट प्रार्थी विवादित कृषि आराजीयात मे क्या अधिकार रखता है यह तथ्य मूलवाद मे साक्ष्य व सबूत से ही तय किया जा सकता है। उक्त तथ्यो के निर्धारण के लिये अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विचाराधीन है, जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद के प्रकरण संख्या 27/2021 प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.08.2022 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)